74

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 1653-पीबीआर/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-11-2008- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 1/2008-09 अपील

चतुरभुज पुत्र गोपाल रावत
ग्राम बचीपुरा तहसील मुरैना
जिला मुरैना मध्य प्रदेश -----अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(रिस्पांडेन्ट के पैनल लायर श्री आर.पी.पालीवाल)

आ दे श

आज दिनांक 08 - 03 -2018 को पारित

यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रमेश चंद मीणा पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी ग्राम पचीपुरा ने कलेक्टर श्योपुर को आवेदन देकर ग्राम के शाला भवन में पढ़ने वाले छात्रों को खेल मैदान के लिये भूमि आरक्षित करने की मांग की, जिस पर से कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 65/2007-08 अ-60 पॅजीबद्व किया तथा स्थल की जांच कराकर आदेश दिनांक 16-9-2008 पारित किया एंव ग्राम पचीपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 188 रकबा 7 वीघा 10 विसवा खलिहान मद में से 0.836 हैक्टर खेल मैदान के लिये सुरक्षित कर दिया। अपीलांट ने इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 01/ 2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-2008 से अपील निरस्त

कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम पचीपुरा की आराजी क्रमांक 188 रकबा 7 वीघा 10 विसवा पटवारी कागजात में खलिहान अंकित है। रमेशचंद मीना ने अधिकार विहीन खेल मैदान के लिये आवेदन दिया है एंव तहसीलदार तथा एस.डी.ओ. के गलत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 16-9-08 पारित करके खलिहान नोईयत की भूमि को खेल मैदान के लिये गलत आरक्षण किया है। तहसीलदार के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि दो टुकड़ों में बटी है क्योंकि बीच में पक्का रास्ता है। इसी भूमि पर शासकीय विद्यालय एंव ग्रामीण सचिवालय बना है तथा 15 ग्रामीणों के मकान बने हैं। कलेक्टर का आदेश गलत है। अपीलांट का इस भूमि पर मकान बना है जिसके कारण वह हितबद्ध है एंव भूमि आरक्षित करने के पूर्व उसे सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। इसी भूमि पर दीवानी दावा प्रचलित है कलेक्टर को भूमि की नाईयत परिवर्तित नहीं करना थी। उन्होंने अपील स्वीकार कर अपर आयुक्त एंव कलेक्टर श्योपुर के आदेश निरस्त करने की मांग की।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके मकान बना लेने अथवा कब्जा कर लेने से किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नहीं होता। शासकीय भूमि शासन की है वह जिस रूप में चाहे उसको प्रयोग में ला सकता है। भूमि विद्यालय भवन के निकट है जिसे खेल मैदान बनाने के लिये आरक्षित किया गया है यदि खेल मैदान नहीं बनाया गया तो जैसे 15 ग्रामीणों से अवैध मकान बना लिये है अन्य ग्रामीण खेल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण करके मकान बना लेंगे अथवा अतिक्रमण कर लेंगे। उन्होंने आम नागरिकों के एंव विद्यालय के छात्रों के हित में भूमि खेल मैदान के लिये आरक्षित करना बताते हुये अपील निरस्त करने की मांग रखी।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्राम पचीपुरा की आराजी क्रमांक 188 रकबा 7 वीघा 10 विसवा मध्य प्रदेश शासन की भूमि है जिसमें से 4 वीघा भूमि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के हित में खेल मैदान के लिये आरक्षित की गई है। रमेश चंद मीणा पुत्र जगन्नाथ मीणा एंव अन्य

ग्रामीणों के हस्ताक्षरित आवेदन आने पर कलेक्टर श्योपुर ने तहसीलदार श्योपुर से मौके की स्थिति पर जांच प्रतिवेदन मांगा है जिसमें तहसीलदार ने बताया है कि विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण करने पर मौके पर आराजी क्रमांक 188 रकबा 7 वीघा 10 विसवा दो टुकड़ों में बटी हुई भूमि है जिसमें से 4 वीघा खेल मैदान के लिये आरक्षित की जा सकती है क्योंकि शेष भूमि में अन्य व्यक्तियों के आवास बने हुये हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच के परिवार से संबंधित व्यक्ति अतिक्रामक होने के कारण पंचायत व्दारा अभिमत नहीं दिया जा सका है। ग्रामवासियों व्दारा सामूहिक सहमति पत्र दिया गया है वही ग्रामसभा का अभिमत माना जायेगा। जहां तक उक्त भूमि पर व्यवहार वाद प्रचलित होने का प्रश्न है विद्वान अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 28-11-08 के पृष्ठ 4 पर विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि अपीलांट व्दारा व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश की अथवा व्यवहार न्यायालय में किस स्तर पर कार्यवाही चल रही है ? जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण उन्होंने कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 65/2007-08 अ-60 में पारित आदेश दिनांक 16-9-2008 में हस्तक्षेप नहीं किया है। कलेक्टर श्योपुर व्दारा आदेश दिनांक 16-9-08 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 28-11-08 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्र.क्र. 01/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर